

— (E)

2022/41

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी जि. चित्तौडगर मुकाम बनाम वसरत  
श्री मति उषा  
किस्म मुकद्दमा प्रा.पत्र 128 ला नं. 26/2022 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही प्रय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 17/4/22     | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<br/>ग्राम.....की<br/>आ.न. <u>859, 947, 86, 23 अमि</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।<br/>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये...1.000/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।<br/>पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> |   |

  
उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

